

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(17)वित्त/आब/2003 पार्ट-।

जयपुर, दिनांक: २१/०६/२०१८

आदेश

श्री लालाराम रेगर पुत्र श्री जेठाराम जो आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल के रूप में आबकारी विभाग में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.03.2019 को सेवानिवृत्त किये जाने हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 26.12.2017 को जारी किया गया था।

कार्मिक विभाग एवं आयुक्त, आबकारी विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री लालाराम रेगर के विरुद्ध आदिनांक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

—४१—

(औंकार मल राजोतिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को पत्र क्रमांक प.19/जन/4/वि.जांच/आब/2018/544 दिनांक 26.03.2018 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारी की सेवानिवृत्त तिथि तक कोई भी जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं होना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित-पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन] शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:

www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in